

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4592
दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना

4592. श्री जगदम्बिका पाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) और इसकी प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) आरडीएसएस के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य के लिए बजट आवंटन का जिलावार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से जुलाई 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की। स्कीम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- (i) इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है और केंद्र सरकार से अनुमानित सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) 97,631 करोड़ रुपये है।
- (ii) इस स्कीम का उद्देश्य स्कीम अवधि के अंत तक समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को अखिल भारतीय स्तर पर 12-15% तक कम करना और आपूर्ति की औसत लागत और औसत प्राप्त राजस्व (एसीएस-एआरआर अंतर) के बीच के अंतर को शून्य करना है।
- (iii) इस स्कीम के दो प्रमुख घटक हैं:
 - भाग 'क'- प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और सिस्टम मीटरिंग तथा वितरण अवसंरचना का उन्नयन
 - भाग 'ख'- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा अन्य सक्षमकारी गतिविधियाँ।

इस स्कीम के अंतर्गत वितरण कम्पनियों (निजी क्षेत्र की कम्पनियों को छोड़कर) को हानि न्यूनीकरण अवसंरचनात्मक कार्यों और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। हानि न्यूनीकरण अवसंरचना के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है, जिससे देश में विद्युत की आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

स्कीम के अंतर्गत, संस्वीकृत हानि न्यूनीकरण परियोजनाओं में अनावृत कंडक्टरों को आवृत कंडक्टरों से बदलना, लो टेंशन एरियल बंडल (एलटी एबी) केबल बिछाना, वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी)/उप-स्टेशनों का उन्नयन/संवर्द्धन, फीडर पृथक्करण कार्य आदि शामिल हैं। संस्वीकृत कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और हानि न्यूनीकरण कार्यों की अब तक की वास्तविक प्रगति ~24% है। इसके अलावा, उन्नत मीटरिंग

अवसंरचना (एएमआई) के हिस्से के रूप में 19.79 करोड़ उपभोक्ताओं, 2.11 लाख फीडरों और 52.53 लाख वितरण ट्रांसफार्मरों के लिए स्मार्ट मीटरिंग कार्यों को संस्वीकृति दी गई है। आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत हानि न्यूनीकरण अवसंरचना कार्यों और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण क्रमशः **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** पर दिया गया है। आरडीएसएस के अंतर्गत 26,485.9 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिसमें दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) की सम्मिलित स्कीमों के तहत खर्च की गई निधि शामिल है। आरडीएसएस के अंतर्गत हानि न्यूनीकरण कार्यों पर खर्च की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** पर दिया गया है।

इसके अलावा, भारत सरकार आरडीएसएस के अंतर्गत सौभाग्य (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना) अवधि के दौरान छूटे हुए सभी घरों के विद्युतीकरण का सहयोग कर रही है। जहां भी व्यवहार्य पाया गया, आरडीएसएस के अंतर्गत ग्रिड आधारित विद्युतीकरण कार्यों को संस्वीकृति दी गई है। आज तक, 10,19,030 घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए 4,643 करोड़ रुपये की राशि के कार्यों को संस्वीकृति दी गई है। इसमें सौभाग्य के दौरान छूटे हुए घरों, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान) के अंतर्गत चिह्नित किए गए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित घरों और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत चिह्नित किए गए अनुसूचित जनजातियों से संबंधित घरों का ग्रिड विद्युतीकरण शामिल है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुबंध-IV** पर दिया गया है।

स्कीम के अंतर्गत निधि जारी करना यूटिलिटी के प्रचालनात्मक और वित्तीय प्रदर्शन में सुधार पर निर्भर है, जिसने भारत सरकार द्वारा की गई अन्य पहलों के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा यूटिलिटी को जारी की जाने वाली सब्सिडी और सरकारी विभाग के बकाए के भुगतान में अनुशासन लाने, टैरिफ आदेश को नियमित रूप से जारी करने, खातों को प्रकाशित करने, विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करने आदि में सहायता की है। केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय स्तर पर वितरण यूटिलिटी की कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां वित्त वर्ष 21 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 24 में 16.28% हो गयी हैं और एसीएस-एआरआर अंतर वित्त वर्ष 21 में 0.71 रुपये/किलोवाट घंटा से घटकर वित्त वर्ष 24 में 0.19 रुपये/किलोवाट घंटा हो गया है।

(ख) : आरडीएसएस के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के लिए संस्वीकृत परियोजना/आवंटित बजट का जिलावार विवरण **अनुबंध-V** पर है।

आरडीएसएस के तहत स्वीकृत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार वितरण अवसंरचना कार्य

(रुपये करोड़ में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हानि न्यूनीकरण अवसंरचना कार्य की संस्वीकृत लागत	स्मार्ट मीटरिंग की संस्वीकृत लागत	कुल संस्वीकृत परियोजना लागत
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	462.01	53.56	515.57
आंध्र प्रदेश	10,709.93	4,127.85	14,837.78
अरुणाचल प्रदेश	1,042.04	183.56	1,225.60
असम	3,394.65	4,049.54	7,444.18
बिहार	8,406.20	2,021.21	10,427.42
छत्तीसगढ़	3,964.19	4,105.31	8,069.51
दिल्ली	323.63	13.38	337.01
गोवा	247.08	469.17	716.25
गुजरात	6,089.11	10,641.96	16,731.07
हरियाणा	6,796.63	-	6,796.63
हिमाचल प्रदेश	2,327.25	1,788.49	4,115.74
जम्मू एवं कश्मीर	4,770.90	1,063.62	5,834.51
झारखंड	3,343.88	858.02	4,201.89
कर्नाटक	35.9	-	35.9
केरल	3,017.65	8,231.21	11,248.86
लद्दाख	875.78	-	875.78
मध्य प्रदेश	9,425.74	8,910.65	18,336.39
महाराष्ट्र	17,209.27	15,214.95	32,424.22
मणिपुर	615.41	121.16	736.57
मेघालय	1,232.19	309.56	1,541.74
मिजोरम	318.68	181.61	500.29
नागालैंड	460.73	207.57	668.3
पुदुचेरी	84.39	251.1	335.48
पंजाब	3,873.37	5,768.50	9,641.87
राजस्थान	17,427.25	9,714.80	27,142.06
सिक्किम	416.24	97.45	513.69
तमिलनाडु	9,567.71	19,235.36	28,803.08
तेलंगाना	120.42	-	120.42
त्रिपुरा	598.28	318.55	916.83
उत्तर प्रदेश	21,660.73	18,956.29	40,617.02
उत्तराखंड	1,717.13	1,106.03	2,823.15
पश्चिम बंगाल	7,222.57	12,670.45	19,893.01
कुल योग	1,47,756.95	1,30,670.88	2,78,427.83

आरडीएसएस के तहत स्वीकृत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्मार्ट मीटरिंग कार्य

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपभोक्ता मीटर (संख्या)		वितरण ट्रांसफार्मर मीटर (संख्या)		फीडर मीटर (संख्या)	
	संस्वीकृत	संस्थापित	संस्वीकृत	संस्थापित	संस्वीकृत	संस्थापित
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	83,573	-	1,148		114	-
आंध्र प्रदेश	56,08,846	12,33,450	2,93,140	2,139	17,358	2,174
अरुणाचल प्रदेश	2,87,446	136	10,116	45	688	227
असम	63,64,798	28,14,572	77,547	52,814	2,782	2,858
बिहार	23,50,000	18,26,110	2,50,726	96,421	6,427	5,540
छत्तीसगढ़	59,62,115	14,04,738	2,10,644	33,846	6,720	5,445
दिल्ली			766		2,755	
गोवा	7,41,160	-	8,369	-	827	-
गुजरात	1,64,81,871	8,41,941	3,00,487	67,321	5,229	
हिमाचल प्रदेश	28,00,945	1,99,092	39,012	5,328	1,951	534
जम्मू और कश्मीर	14,07,045	66,979	88,037	183	2,608	1,401
झारखंड	13,41,306	81,182	19,512		1,226	421
केरल	1,32,89,361	-	87,615		6,025	-
मध्य प्रदेश	1,29,80,102	16,51,411	4,19,396	22,594	29,708	9,538
महाराष्ट्र	2,35,64,747	12,41,910	4,10,905	1,15,550	29,214	28,700
मणिपुर	1,54,400	5,964	11,451		357	100
मेघालय	4,60,000	-	11,419		1,324	-
मिजोरम	2,89,383	-	2,300		398	-
नागालैंड	3,17,210	-	6,276		392	-
पुदुचेरी	4,03,767	-	3,105		180	-
पंजाब	87,84,807	-	1,84,044		12,563	-
राजस्थान	1,42,74,956	-	4,34,608		27,128	11,416
सिक्किम	1,44,680	16,450	3,229	233	633	432
तमिलनाडु	3,00,00,000	-	4,72,500		18,274	
त्रिपुरा	5,47,489	27,494	14,908	2	473	417
उत्तर प्रदेश	2,69,79,055	13,44,129	15,26,801	53,388	20,874	22,545
उत्तराखंड	15,87,870	47,184	59,212	3,460	2,602	2,380
पश्चिम बंगाल	2,07,17,969	3,28,016	3,05,419	-	11,874	2,068
आरडीएसएस-कुल	19,79,24,901	1,31,30,758	52,52,692	4,53,324	2,10,704	96,196

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्वीकृत हानि न्यूनीकरण कार्य, केंद्रीय सकल बजटीय सहायता और आरडीएसएस के अंतर्गत केंद्रीय अनुदान का संचयी व्यय

(रुपये करोड़ में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हानि न्यूनीकरण कार्यों की संस्वीकृत लागत	संस्वीकृत केंद्रीय सकल बजटीय सहायता	संस्वीकृत केंद्रीय सकल बजटीय सहायता
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	462.01	415.81	0
आंध्र प्रदेश	10,709.93	6,425.95	1461.67
अरुणाचल प्रदेश	1,042.04	937.84	41.72
असम	3,394.65	3,055.18	1055.83
बिहार	8,406.20	5,043.72	2286.71
छत्तीसगढ़	3,964.19	2,378.52	515.18
दिल्ली	323.63	194.18	0
गोवा	247.08	148.25	14.61
गुजरात	6,089.11	3,653.46	1188.04
हरियाणा	6,796.63	4,077.98	234.58
हिमाचल प्रदेश	2,327.25	2,094.53	86.73
जम्मू एवं कश्मीर	4,770.90	4,293.81	1014.3
झारखंड	3,343.88	2,006.33	208.4
कर्नाटक	35.9	21.54	1.11
केरल	3,017.65	1,810.59	175.58
लद्दाख	875.78	788.20	77.66
मध्य प्रदेश	9,425.74	5,655.44	1927.02
महाराष्ट्र	17,209.27	10,325.56	2463
मणिपुर	615.41	553.87	93.56
मेघालय	1,232.19	1,108.97	167.09
मिजोरम	318.68	286.82	46.89
नागालैंड	460.73	414.66	10.43
पुदुचेरी	84.39	50.63	0.17
पंजाब	3,873.37	2,324.02	229.36
राजस्थान	17,427.25	10,456.35	1603.56
सिक्किम	416.24	374.62	35.16
तमिलनाडु	9,567.71	5,740.63	541.76
तेलंगाना	120.42	72.25	1.99
त्रिपुरा	598.28	538.45	141.4
उत्तर प्रदेश	21,660.73	12,996.44	3981.24
उत्तराखंड	1,717.13	1,545.41	109.19
पश्चिम बंगाल	7,222.57	4,333.54	796.95
कुल योग	1,47,756.94	94,123.55	20,510.89

आरडीएसएस के तहत स्वीकृत घरेलू विद्युतीकरण कार्य

क्रम सं.	राज्य	संस्वीकृत परियोजना लागत (करोड़ रु.)	केंद्रीय सकल बजटीय सहायता (करोड़ रु. में)	संस्वीकृत परिवारों की संख्या *
1	आंध्र प्रदेश	161.27	96.76	46,443
2	अरुणाचल प्रदेश	75.52	67.97	10,136
3	असम	785.55	706.99	1,27,111
4	बिहार	300.55	180.33	42,635
5	छत्तीसगढ़	366.66	219.99	72,788
8	हिमाचल प्रदेश	6.63	5.96	100
9	जम्मू एवं कश्मीर	77.1	69.39	10,730
10	झारखंड	81.6	48.96	13,314
11	कर्नाटक	35.9	21.54	5,844
12	केरल	7.07	4.24	1,482
14	मध्य प्रदेश	184.7	110.81	36,045
15	महाराष्ट्र	28.68	17.2	9,036
16	मणिपुर	214.44	193	36,972
17	मेघालय	435.7	392.13	50,501
18	मिजोरम	79.9	71.91	15,167
19	नागालैंड	69.55	62.59	10,004
23	राजस्थान	499.52	299.71	2,08,592
25	तमिलनाडु	29.89	17.94	10,673
26	तेलंगाना	120.41	72.25	31,081
27	त्रिपुरा	104.52	94.08	19,853
28	उत्तर प्रदेश	964.48	578.69	2,58,700
29	उत्तराखंड	13.68	12.31	1,823
	कुल	4,643.32	3,344.75	10,19,030

* इसमें डीए-जेजीयूए के अंतर्गत चिह्नित 1,661 सार्वजनिक स्थानों का विद्युतीकरण शामिल है।

आर.डी.एस.एस. के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में संस्वीकृत परियोजना लागत और केंद्रीय बजटीय सहायता का जिलावार विवरण

(रुपये करोड़ में.)

क्रम. सं.	ज़िला	वितरण अवसंरचना कार्यों की संस्वीकृत लागत	वितरण अवसंरचना कार्यों के लिए केंद्रीय जीबीएस संस्वीकृत	स्मार्ट मीटरिंग कार्यों की संस्वीकृत लागत	स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए केंद्रीय जीबीएस संस्वीकृत
1	आगरा	198.65	119.19	294.75	51.80
2	अलीगढ़	410.1	246.06	288.23	50.47
3	अंबेडकर नगर	158.42	95.05	215.20	43.28
4	अमेठी	130.39	78.23	215.20	43.28
5	औरैया	145.83	87.50	138.70	24.53
6	अयोध्या	174.52	104.71	215.21	43.28
7	आजमगढ़	171.61	102.97	380.99	69.92
8	बागपत	98.96	59.38	197.78	33.20
9	बहराईच	156.24	93.74	276.18	55.58
10	बलिया	294.8	176.88	199.15	36.46
11	बलरामपुर	130.42	78.25	137.07	27.40
12	बाँदा	196.66	118.00	201.36	35.38
13	बाराबंकी	197.86	118.72	215.20	43.28
14	बरेली	429.7	257.82	392.09	77.76
15	बस्ती	96.7	58.02	250.39	45.88
16	बिजनौर	341	204.60	509.03	85.65
17	शाहजहांपुर	266.37	159.82	263.12	50.59
18	बुलन्दशहर	362.56	217.54	465.98	78.19
19	चंदौली	90.77	54.46	158.62	28.96
20	चित्रकूट	129.48	77.69	112.29	19.79
21	देवरिया	160.31	96.19	245.29	45.24
22	एटा	231.84	139.10	154.83	27.30
23	इटावा	171.78	103.07	127.31	22.13
24	फर्रुखाबाद	169.61	101.77	142.43	25.10
25	फतेहपुर	369.94	221.96	236.43	42.90
26	फिरोजाबाद	295.55	177.33	223.33	38.73
27	गौतमबुद्ध नगर (नोएडा सहित)	1503.75	902.25	249.51	42.64
28	गाजियाबाद	236.45	141.87	645.62	111.72
29	गाजीपुर	209.74	125.84	277.28	50.39
30	गोंडा	367.43	220.46	294.29	58.85
31	गोरखपुर	194.14	116.48	324.10	59.23
32	हमीरपुर	107.93	64.76	135.08	23.73
33	हापुड	183.73	110.24	205.15	34.71
34	हरदोई	221.98	133.19	209.41	42.13
35	हाथरस	163.16	97.90	178.19	31.27
36	जालौन	169.54	101.72	175.80	30.99
37	जौनपुर	327.42	196.45	381.55	69.70

क्रम. सं.	ज़िला	वितरण अवसंरचना कार्यों की संस्वीकृत लागत	वितरण अवसंरचना कार्यों के लिए केंद्रीय जीबीएस संस्वीकृत	स्मार्ट मीटरिंग कार्यों की संस्वीकृत लागत	स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए केंद्रीय जीबीएस संस्वीकृत
38	झांसी	200.58	120.35	210.37	37.35
39	अमरोहा (जे.पी.नगर)	131.27	78.76	256.36	42.79
40	कन्नौज	133.95	80.37	155.00	27.31
41	कानपुर देहात	117.28	70.37	177.87	31.32
42	कानपुर नगर	1444.81	866.89	503.78	100.71
43	काशगंज (काशीराम) नगर)	217.2	130.32	136.95	24.18
44	कौशांबी	237.05	142.23	133.51	24.21
45	कुशीनगर	134.52	80.71	264.16	48.82
46	लखीमपूर-खिरी	196.77	118.06	360.59	72.69
47	ललितपुर	119.48	71.69	103.26	18.29
48	लखनऊ	938	562.80	669.63	136.66
49	महाराजगंज	74.96	44.98	261.19	48.38
50	महोबा	96.8	58.08	97.83	17.34
51	मैनपुरी	173.02	103.81	190.64	33.39
52	मथुरा	326.08	195.65	243.50	42.52
53	मऊ	223.73	134.24	207.42	38.05
54	मेरठ	327.66	196.60	433.70	74.01
55	मिर्जापुर	169.42	101.65	213.75	38.42
56	मुरादाबाद	278.19	166.91	401.79	68.54
57	मुजफ्फरनगर	269.37	161.62	406.76	68.45
58	पीलीभीत	199.03	119.42	202.70	40.64
59	प्रतापगढ़	355.37	213.22	296.68	54.08
60	प्रयागराज	806.94	484.16	309.89	56.14
61	रायबरेली	228.42	137.05	352.41	70.93
62	रामपुर	142.69	85.61	276.35	46.83
63	सहारनपुर	448.68	269.21	475.51	79.50
64	संभल	487.74	292.64	216.90	36.63
65	संत कबीर नगर	39.9	23.94	152.24	28.10
66	संत रवि दास नगर (भदोई)	131.93	79.16	126.19	22.76
67	शाहजहांपुर	230.89	138.53	233.15	46.88
68	शामली	106.05	63.63	206.45	34.37
69	श्रावस्ती	75.72	45.43	123.77	25.06
70	सिद्धार्थनगर	195.43	117.26	206.76	38.17
71	सीतापुर	221.41	132.85	183.08	36.69
72	सोनभद्र	204.08	122.45	172.79	31.48
73	सुल्तानपुर	158.85	95.31	215.20	43.28
74	उन्नाव	167.64	100.58	235.85	47.21
75	वाराणसी	1,803.63	1082.18	139.36	24.97
	कुल	21,079.88	12,647.93	18,885.46	3,458.56
